न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2437–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–6–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, झासी रोड क्षेत्र ग्वालियर प्रकरण कमांक 120/13–14/बी–121.

श्री अनीता कुशवाह पत्नी श्री कप्तान सिंह कुशवाह
आयु 48 वर्ष, व्यवसाय गृह कार्य, निवासी राजपायगा रोड,
लश्कर, ग्वालियर

.....आवेदक

विरूद्ध

1 मोहनचंद पुत्र श्री धर्मानन्द जाति ब्राम्हण
निवासी छत्री बाजार, लश्कर ग्वालियर
2 मध्य प्रदेश शासन

.....अनावेदकगण

श्री किशोर कुशवाह, अभिभाषक, आवेदक
श्री सी0 एम0 गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1
श्री बी0 एन0 त्यागी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/6/15 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी. म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 6–6–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विद्याधर जोशी पुत्र बटुकदेव जोशी द्वारा तहसीलदार, ग्वालियर के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसे अनावेदक कमांक 1 मोहनचंद पुत्र धर्मानन्द निवासी छत्री बाजार, लश्कर ग्वालियर के द्वारा ग्राम ललियापुरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 40/2 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा के लिये मुख्त्यारआम नियुक्त किया गया है । उक्त प्रश्नाधीन भूमि महाराज सिंह पुत्र हरजीत सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम ललियापुरा द्वारा पंजीकृत विकय पत्र कमांक 3989 दिनांक 13–12–1968 से कय की गई थी, उक्त विकय पत्र को मेरे द्वारा तत्कालीन पटवारी को नामांतरण हेतु दिया गया था । प्रश्नाधीन भूमि रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा में से रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा भूमि रेल्व के द्वारा दिनांक 21–3–1970 को अर्जित की गई थी, जिसका मुआवजा उसे प्राप्त हो गया है । भूमि के केता मोहनचंद वर्तमान में मुरादाबाद यू0पी0 में निवास करते है । मुझे जानकारी मिली की वर्तमान में इस भूमि पर समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है, तब पटवारी से संपर्क करने पर ज्ञात हुआ कि वर्तमान में प्रश्नाधीन भूमि आवेदिका अनीता कुशवाह के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है, अतः अनावेदक कमांक 1 द्वारा कय की गई भूमि पर चल रहे समतलीकरण के काम को बंद कराया जाये एवं रजिस्टर्ड विकय पत्र 3989 दिनांक 13–12–1968 के अनुसार रिकार्ड में नामांतरण का अमल किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 120/13–14/बी–121 दर्ज किया जाकर दिनांक 22–4–2014 को अनुविभागीय अधिकारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर संहिता की धारा 51 के अंतर्गत नामांतरण पंजी कमांक 7/3–5–2001 आदेश दिनांक 1–6–2001 एवं नामांतरण पंजी कमांक 11/22–11–2004 आदेश दिनांक 10–12–2004 के पुनर्विलोकन की अनुमति चाही गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 6–6–2014 को आदेश पारित कर तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये पुनर्विलोकन की अनुमति प्रदान की गई । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) नामांतरण आदेशों के पुनर्विलोकन के लिये संहिता की धारा 51 (3) के अंतर्गत 60 दिवस की समयावधि निर्धारित है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि के बिन्दु पर बिना विचार किये विधि विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अनावेदक कमांक 1 मोहनचंद द्वारा पुनर्विलोकन संबंधी कोई आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही पुनर्विलोकन की अनुमति के संबंध में कोई सहायता नहीं चाही गई है, इसके बावजूद भी तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को पुनर्विलोकन की अनुमति हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति देने में गंभीर अनियमितता की गई है ।

(3) अनावेदक कमांक 1 मोहनचंद को प्रारंभ से ही जानकारी थी कि प्रश्नाधीन भूमि पर योगेश बंसल तथा उसके पश्चात आवेदिका का नाम दर्ज है । इसके बावजूद भी उसके द्वारा नामांतरण आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत नहीं की गई, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति दिये जाने में विधि विपरित कार्यवाही की गई है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति के पूर्व आवेदक को सुना जाना आवश्यक था, जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति से पूर्व आवेदक को सुना नहीं गया है, जैसा कि सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में प्रावधान है कि पुनर्विलोकन के पूर्व हितबद्ध पक्षकारों को सुना जाना आवश्यक है, उसके पश्चात ही पुनर्विलोकन का आदेश पारित किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन के आदेश के पश्चात आवेदिका को सुनवाई का अवसर दिया गया है, जो कि अपने आप में दोषपूर्ण कार्यवाही है ।

(5) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 51 (1) क में दिये गये प्रावधानों का पालन नहीं किया गया जब कि धारा 51 (1) क में स्पष्ट परिभाषित किया गया है कि "किसी भी आदेश को तब तक फेर फारित नहीं किया जावेगा या उल्टा नहीं किया जावेगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंज्ञात होने तथा ऐसे आदेश की पुष्टि में सुने जाने की सूचना न दे दी गयी हो ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक कमांक 1 द्वारा पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से महाराज सिंह पुत्र हरजीत सिंह को वर्ष 1961 से कय की गई है, अतः महाराज सिंह को प्रश्नाधीन भूमि पर कोई स्वत्व नहीं रह गया था, इसके बावजूद भी उनके द्वारा योगेश बंसल को भूमि विकय की गई है, जो कि पूर्णतः अवैधानिक कार्य है और योगेश बंसल द्वारा आवेदक को भूमि विकय की गई है, जिसके अधिकार भी योगेश बंसल को नहीं थे, अतः उक्त दोनों विकय पत्रों के आधार पर नामांतरण पंजी पर पारित नामांतरण आदेश पूर्णतः विधि विपरीत होकर अधिकारिता रहित आदेश है । अतः ऐसे आदेशों के पुनर्विलोकन की अनुमति देने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि पूर्णतः क्षेत्राधिकार रहित आदेशों के पुनर्विलोकन की अनुमति देने में समय सीमा लागू नहीं होती है, क्योंकि ऐसे आदेशों को किसी भी स्तर पर चुनौती दी जा सकती है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 6–6–2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन की अनुमति देने में आवेदिका को किसी प्रकार की कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया । 2000 राजस्व निर्णय 76 शहीद अनवर वि0 राजस्व मण्डल तथा एक अन्य में माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

> "धारा 51 परंतुक (एक)–पुनर्विलोकन के लिए मण्डल अथवा अन्य किसी राजस्व अधिकारी द्वारा मंजूरी–दूसरे पक्ष को सूचना और सुनवाई का अवसर दिए बिना प्रदान नहीं की जा सकती ।"

अतः माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बिना आवेदक को सूचना दिये एवं सुनवाई का अवसर दिये पुनर्विलोकन की अनुमति देने में विधि की गंभीर भूल की गई है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, झासी रोड़ क्षेत्र ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–6–2014 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्ष को विधिवत सूचना दी जाकर उन्हैं सुनवाई का अवसर देते हुये पुनर्विलोकन की अनुमति पर विधि अनुसार निर्णय लें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर